माननीय राजस्व मण्डल, ग्वालियर, जिला ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक /2018 निगरानी – 6075/2018/निगरानी/भू.रा.

दीपक तिवारी पुत्र श्री विद्यानन्द तिवारी आयु – 48 वर्ष, निवासी– पुरानी नगर पालिका के पास, गांधी चौक गंज बासौदा जिला विदिशा .... निगरानीकर्ता

बनाम

शासन द्वारा तहसील, गंजबासौदा जिला विदिशा (म0प्र0) ....निगरानीग्रहिता

1–निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता

2–खिलाफ आदेश सीमांकन दिनांक 11/07/2018 न्यायालय तहसीलदार, गंजबासौदा, जिला विदिशा (म0प्र0) प्रकरण क्र0 67/–अ–12/17–18 (शासन बनाम दीपक तिवारी ग्राम पठारी –बासौदा, तहसील बासौदा, जिला विदिशा (म0प्र0)

श्रीमान महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, तहसीलदार बासौदा ने स्वमेव पठारी–बासौदा तहसील बासौदा, जिला विदिशा म0प्र0 के सर्वे नम्बर 127/2/2 का सीमांकन एक तरफा किया है, जिससे दुखित होकर निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है ।
2. यहकि, सीमांकन विधि अनुसार नहीं है, सीमांकन की सूचना आवेदक को दिनांक 03/06/2018 को दी गई थी, उक्त दिनांक को पटवारी हड़ताल पर थे । इस कारण सीमांकन नहीं हुआ । सीमांकन दिनांक 10/07/2018 को किया । इस दिनांक की आवेदक को कोई सूचना नहीं दी और तथ्यों के विपरीत नोट लगाया कि आवेदन उपस्थित नहीं हुए ।
3. यहकि, दीवानी न्यायालय माननीय अतिरिक्त जिला न्यायधीश बासौदा प्र0क्र0 99/16 निर्णय दिनांक 03/11/2016 दीपक तिवारी बनाम शासन में यह निर्धारित किया कि शनि मंदिर खसरा नं0 127/03 में स्थित है, तथा निषेधाज्ञा की डिक्री दी गई है, इसको निरस्त ना किया ... अधिकार नहीं रह जाता

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-6075/2018/विदिशा/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-5-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य** (3)	